

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

26/11/2024

वाद सं०- एम०- 54 / 2024-25

वाद का प्रकार- धारा- 126 माना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) —बनाम— धनेश अहिर वगै०
आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०- 96 / 2024 एवं डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०- 26 / 2024 दिनांक- 28.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा- 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. धनेश अहिर, पिता- स्व० देवनाथ अहिर, ग्राम- खेतली 2. देवधन उरांव, पिता- रामधनी भगत, सा०- बड़ाकटरा 3. सुरेन्द्र तिर्की, पिता- स्व० इलियास तिर्की, ग्राम- धोतीपाठ, बड़ाकटरा 4. आलोक बाखला, पिता- स्व० हबील बाखला, सा०- डहकुल दमगड़ा 5. शशि भुषण एकका, पिता- स्व० नोवेल एकका, सा०- मंदरिया 6. अभिषेक नायक, पिता- स्व० मुन्ना नायक, सा०- जैरागी 7. महेन्द्र कुम्हार, पे०- जीतू कुम्हार, सा०- जैरागी 8. प्रवीण भगत, पिता- भगतू भगत, सा०- पुराना टाटी 9. रत्नेश साहु, पिता- संजय साहु, सा०- जैरागी 10. संजय कुमार साहु, पिता- स्व० ज्ञानी साहु, सा०- जैरागी 11. अवध कुमार साहु, पे०- संजय कुमार साहु, सा०- जैरागी 12. अखिलेख कुमार साहु, पिता- स्व० संजय कुमार साहु, सा०- जैरागी, सभी थाना- डुमरी, जिला- गुमला को विधान सभा निर्वाचन, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्वालोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक- 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। थाना प्रभारी, डुमरी से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांघित

कार्यपालक पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।